पुस्तकालय

1

3241
12/12/12

सत्यमेव जयते

असंशोधित

13 DEC 2012

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

--------

(भाग 1–कार्यवाही–प्रश्नोत्तर)

प्रतिवेदन शाखा
वि०स०मु०सं० 1545 तिथि 12/12/12

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री मंजित कुमार सिंह 8

तारांकित प्रश्न संख्याः ११० (श्री मंजीत कुमार सिंह)

श्री अवधेश कुमार कुशवाहा,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड १ : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड २: उत्तर अस्वीकारात्मक है । बिहार ईंख आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन अधिनियम,१९८१ की धारा-४ की उप धारा (१) के तहत बोर्ड को राज्य सरकार को विभिन्न विषयों तथा ईख का उत्पादन, अनुसंधान,परिवहन, ईंख आपूर्त्ति तथा परामर्श देने का प्रावधान है ।

खंड ३ : वस्तुस्थिति यह है कि ईंख बोर्ड के तहत सहकारी समितियों के सदस्यों को हटाने हेतु बिहार आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन अधिनियम,१९८१ (संशोधन) विधेयक,२००७ पर महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति अभी तक नहीं हुई है, जिसके कारण ईंख बोर्ड और बोर्ड की समितियों के गठन में विलंब हो रही है ।

खंड ४ : उपरोक्त खंड ३ में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार ईंख आपूर्त्ति अधिनियम,१९८१ की धारा ४९(७) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ईंख कर से जो राजस्व की प्राप्ति होती है, उसका खर्च ईंख बोर्ड के द्वारा किये जाने का प्रावधान है और पिछले १० वर्षों में लगभग ५०करोड़ की ईंख कर की राशि संग्रहित है और आज तक ईंख बोर्ड का गठन नहीं किया गया तो सरकार यह बतायें कि ईंख बोर्ड का गठन नहीं करने का औचित्य क्या है और ईंख बोर्ड का गठन कब करेगी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ने अपने जवाब में बता दिया ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : मैं माननीय मंत्री जी को चुनौती देता हूं और मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है २००७ से तो ईंख आयुक्त ने अध्यक्ष महोदय आपको पत्र भेजा और ३०.०१.१२ को आपके द्वारा अधिकृत पीठासीन पदाधिकारी ने चार विधान सभा के सदस्यों को ईंख बोर्ड में सदस्य के रूप में मनोनित किया । महोदय, जब ये सुप्रीम कोर्ट में लंबित था तो आपके स्तर से इस बोर्ड का गठन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा कैसे किया गया, उसका पत्र मेरे पास है ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला नहीं दिया है ।

श्री विजेन्द्र प्र० यादव,मंत्री : २००७ में विधान मंडल ने ऐक्ट में परिवर्त्तन किया तो उसकी स्वीकृति चाहिए महामहिम राष्ट्रपति से । राष्ट्रपति जी के यहां पेंडिंग है, ऐसा जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया। तो माननीय सदस्य किस बात की चुनौती देते हैं । क्या चुनौती का आधार है ? राष्ट्रपति के पास जब पेंडिंग है और इसी हाउस ने पारित किया तो कुछ ऐक्ट ऐसे है जो गवर्नर के द्वारा होते हैं और कुछ महामहिम राष्ट्रपति के यहां जाते हैं । तो पेंडिंग हैं । जब उनका दस्तखत हो कर आ जायेगा तो ऐक्ट प्रभावी होगा और तब गठन होगा ।

श्री मंजीत कुमार सिंह : वहां पेंडिंग है तो ईंखायुक्त ने कैसे बिहार विधान सभा के अध्यक्ष जी को पत्र लिखा कि आप विधान सभा के सदस्य को मनोनित कीजिये और अध्यक्ष महोदय, आपने ३०जनवरी,१२ को आपने पीठासीन पदाधिकारी को अधिकृत किया और पीठासीन पदाधिकारी ने चार माननीय सदस्यों को नामित करके ईंखायुक्त को पत्र भेजा । तो यह मामला अगर विचाराधीन भी है तो महोदय, आपके पास कैसे ईंखायुक्त ने पत्र भेजा और यदि गलत पत्र भेजा तो उसके खिलाफ क्या अवमानना और विशेषाधिकार चलाने का विचार सरकार रखती है ?

अध्यक्ष : बैठिये ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,नेता,विरोधी दल : महोदय, यह बात सही है कि जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि यह मामला लंबित है २००७ से और राष्ट्रपति जी के यहां स्वीकृति के लिये गया है । माननीय सदस्य ने ठीक पूछा । महोदय, विभाग ने हाउस को भी मिसलीड किया और माननीय अध्यक्ष को भी मिसलीड किया गया और बजाप्ते विभाग के कमीशनर ने माननीय अध्यक्ष जी को पत्र लिखा कि बिहार राज्य ईख बोर्ड गठन हेतु आप माननीय सदस्य को मनोनित कीजिये । उस पत्र के आधार पर आपने चार माननीय सदस्यों - श्री प्रमोद कुमार, श्री राजेश सिंह, श्री मंजीत कुमार सिंह और श्री ज्ञानचंद मांझी को मनोनित कर दिया । तो जब २००७ से यह मामला लंबित था, किस पदाधिकारी ने किस स्तर से माननीय अध्यक्ष और सदन की अवमानना की और सदन को लिखा कि बोर्ड के लिये आप माननीय सदस्य को मनोनित कीजिये और यह पत्र है कि विधान सभा अध्यक्ष के द्वारा चार माननीय सदस्य मनोनित किये गये ।

महोदय, आपका संरक्षण चाहिए । यह सदन की और माननीय अध्यक्ष की गरिमा का सवाल है। जिस पदाधिकारी ने पेंडिंग रहने के बावजूद आप से बोर्ड गठन करने के लिये सदस्यों का नाम मांगा और आपने भेजा । ऐसे पदाधिकारी और मंत्री दोनों पर विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव चलाया जाय ।

श्री विजेन्द्र प्र०चौधरी,मंत्री : इस परिस्थिति में जो तथ्य हैं, उसकी जानकारी अभी नहीं है । देखवाने के बाद ही पता चलेगा । इसके बाद ही इसका समुचित समाधान होगा इसीलिये इसको देखवा कर इसका जवाब आयेगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,नेता,विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपका ही संरक्षण चाहिए । यह सदन के सम्मान का सवाल है, माननीय अध्यक्ष जी के सम्मान का सवाल है ।

श्री विजेन्द्र प्र०यादव,मंत्री देखेंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,नेता,विरोधी दल : आपकी राय मांग रहे हैं ? मै अध्यक्ष जी के तरफ मुखातिब हूं । यह आपका नोटिफिकेशन है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी,नेता,विरोधी दल : महोदय, मैं आपसे बहुत ही विनम्र एवं संसदीय परम्परा की इज्जत के लिये मैं यह चाहता हूं कि जिस पदाधिकारी ने मांगा और उसके आधार पर आपने गठन के लिये भेजा, वैसे पदाधिकारी और मंत्री का भी अनुमोदन हुआ होगा । इन दोनों के विरूद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव चलाया जाय

अध्यक्ष : शांति शांति ।

यह मामला १४वीं बिहार विधान सभा का है । इसको आसन देख लेगा ।